Annexure-1

#### FORM-1

### (FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttrakhand Office at the district collector Champawat

No. 823/

Date: 9-12-2015

## To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) date 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.643 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Lok Nirman Vibhag, Champawat (name of user agency) for Construction of Birmola-Rayal Motor Road motor road under state sector.

(Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Birmola & Rayal village(s) in Champawat Tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 2.643 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2 total 04 pages.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under (b) section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre (c)

Enclosure :- As above.

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो**ंन**े

Signature /

जिलाधिकारी चम्पावत

(Full name and official seal of the District Collector)

#### प्रारूप-30.1

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER Dsitrict Champawat (U.K.)

No.823/

Date: 9-12-2015

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of right) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss

P.A.S deputy commissioner Champawat on dated 9-12-2015 at time 12.000 at Champawat in which application claiming rights in forest area measuring 2.643 Hect. for the Constrution of Birmola-Rayal Motor Road in district Champawat. forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Champawat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Champawat

Dated:

जिला समाज कल्यान अधिकारी चम्पावत ( जे० रूस ॰ राहेरेर ) Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee

'जेलाधिकारी

्र आयेशातो आणा स प्रान्तीय खण्ड, तो ्नि ्विट व चम्पावत (प्रस्कृती)

प्रमानीय के तिवस्ती सम्पादत वन प्रमाग, चन्पाइत

ग्रम प्रधान ग्राम म्लायव पोलपे

प्रपत्र-23 परियोजना का नाम:- अन्याद नम्मावत के विधान सभा क्षेत्रा नम्मावत के अन्तिजत विरमाला-रायल मारा यार्ग का नव विर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापित्त प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम गिवराप तहसील जिला जम्मावरा अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला जम्मावता उत्तराखण्ड में जनपद-बन्धावत के विद्यान सभा के बन्धावत 

है0 आरक्षित वन भूमि .......है0 सिविल सोयम भूमि ....है0,वन पंचायत भूमि .....है0 हैo) अर्थात कुल 2:643 हैo वन भूमि का ली कि विकास विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत *चिलाप* हारा दिनांक 4-11-39.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम योज प्र -व्यापावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई

आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम् पंचायत विकास अधिकारी ह0/- मेत्रांकाम माठा विञ्चल व्यापन्त ग्राम सचिव

नोट:-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है।तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

## दिनांक 4-11-2015....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिथति

## ग्राम पंचायत जीलाप

	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हरताक्षर
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वीर्ध ग्रामपारापार्य ।	3120112
	304 (43)	No. of the control of
1	िग्रम सिंह ठा० की जागा सिंह	NSMAN
	المرابع المراب	
2	M2-40 /4E 5/00 09 0	3 14 BB
3		7
3	रापन्ड सिंह, प्राप्त भूनी दवी	0
4	6	मद्रा सिंद
	SIEI LIE	
5	िवान सिंह	1देवानस
6	199111100	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	21011 1418	-1
	$\alpha$ $\Lambda$	पुवराह व
0	पुरुषा देवी	
8	माध्य सिंह	माध्यत । सह
9		
	जगत सिंह,	1
16	Tal HE	= I m IAE
)1	नाव सिंह	- र स्वर्गाहर
	रधवर सिंह	The state of the s
12		
	ह्ववर वन	919
13	194	090
11	रवामा- 99	13/13/2/2/201
	र्जि देव	11/10/14/19
15		301211806
W. W.	31012 1018	
16	काल यम.	व्यालाराम
17		क्षेत्र भागी राजा
	1714/01/01	63
)	व रमेश राम अस्तिमा देनी	2 / 212111
	28181 2181 342711 991	20 ~
,	7	
	व नरापण राभ	
	20	Opini Sin
L	A STATE OUT	17121212121
(	(2) Taika 217 SIM	र निर्मान्यमं धार्मा
	22) हीर राम	NSWIMAL
	HIELOTAYS -	CIIN
	न्ह्याण सिंह पुत्र भारायण सिं	M. A
*	मिमा । सिंह पुत्र मिरिशिवा क्रि	adma Medizina

परियोजना का नाम :- जनगढ़ नम्पावत के विकान सूत्रा क्षेत्र नम्पावत के अन्तंगत विरमोला - रावल मोर्ट मार्ग का नए निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, न्यावत अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, न्यावरी

उपखण्ड *न्यावत* परिक्षेत्र के अन्तर्गत विश्वाला -गणला मार् — (कः 00 ट हैं ) आरक्षित वन भूमि,2.643 है ) सिविल एवं सोयम वन भूमि कः 00 है 0 2.643 कुल पा विकास प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्ति किये जाने हेतु अनूसूचित अर्थात जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील न्याबरा) की दिनांक 4-11-2015 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जे क्या कराहीर, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

सहायक समाज कलाण

चपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

जानाप (- जम्पावत के विद्यान सभा क्षेत्र नाम्पावत के विद्योला परियोजना हेत् ? 643 हे0 रापल मोट्य मार्ज

मान्तीय रवण्ड ली कि निक विक च्यापता

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, -व अपावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया क्रि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जिल्ला परिक्षेत्र के अर्न्तगत विल्ला जा री रापली सी रा सार्जिं परियोजना के निर्माण हेतु... 2.643 हैo वन भूमि प्राप्त प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। उपजिलाधिकारी चम्पावव्य उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति तहसील : न्यायावत जनपद: नुस्मा वत प्रतिलिपि : उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी सीमीतिव तहसील : च्यावत जनपद: निमावता